13/16 आज यह पत्रावली बैंच कोर्ट अवैली में पेश हुई प्रार्थीगण वादी की ओर से श्री राजाराम Adv. ने उपस्थित होकर पूर्व में प्रस्तुत प्रा. पत्र 0-23 नियम-1 पढ़ कर बहस की गयी बहसोपरान्त वादीगण का वाद पत्र में प्रस्तुत प्रा. पत्र 0-23 R-1 दुरी कार किया जाता है वादीगण का नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है विचाराधीन वाद पत्र खिदरा किया जाता है पत्रावली में नया वाद एक माह में पेश किया जावे। पत्रावली पश्चात् दुरुस्त होकर बहस तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। नियम बैंच कोर्ट में पुनर्पेश गया।

Counsel for Plaintiff

अपर जिला जज

कोटकासिम (अलवर)